सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर, जिला जयपुर

राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार–2018

कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत : भाबरू, कैम्प दिनांक 16.05.2018

पीठासीन अधिकारी :– मुकेश कुमार मूंड R.A.S.

राजस्व वाद संख्या :– 100/2017 **दायर तारीख :– 12.12.2017**

1. सुरजा पुत्र सीत्ता उर्फ सीताराम जाती यादव निवासी ढाणी गैसकान तहसील विराटनगर

–– वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिए जिला कलक्टर, जयपुर जिला जयपुर कलक्ट्रेट परिसर बनीपार्क, जयपुर शहर जिला जयपुर।
2. तहसीलदार, तहसील विराटनगर, जिला जयपुर

–– प्रतिवादीगण

3. रामचन्द्र
4. देबू
5. मूला
6. बिरदू
7. हनुमान
8. धुडी देवी

पुत्रान सीत्ता उर्फ सीताराम, जाती अहीर निवासी ढाणी गैसकान, तहसील विराटनगर जिला जयपुर।

–– तरतीबी प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणा खातेदारी दुरूस्ती इन्द्राज एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित :– श्री मदनलाल जाट, अधिवक्ता वादी
पैरोकार सरकार

निर्णय

निर्णय दिनांक 16.05.2018

1. वादी ने वादपत्र पेश कर निवेदन किया कि वाके ग्राम भाबरू के साबिक खसरा नम्बर 74 रकबा 1 बीघा 3 बिसवा, 75 रकबा 6 बिसवा, 76 रकबा 10 बिसवा, 79 रकबा 12 बिसवा, 93 रकबा 1 बीघा कुल किता 5 रकबा 3 बीघा 11 बिसवा की खातेदारी पूर्व में छोटेलाल पुत्र रामनाथ व छोटेलाल पुत्र रामनारायण के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड रही है। उक्त साबिक खसरा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

नम्बरान से हाल सैटलमेंट में नये खसरा नम्बर 1127/0.25, 1128/0.07, 1129/0.02, 1130/0.16, 1136/0.23 हैक्टेयर किता 5 कुल रकबा 0.73 हैक्टेयर बनाये गये, जिनकी खातेदारी वादी व उसके पिता सीत्ता उर्फ सीताराम बहिस्सा 1/2–1/2 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। सीत्ता उर्फ सीताराम फौत हो चुका है, जिसके वाद एवं तरतीबी प्रतिवादीगण वारिसान है तथा उनकी चल एवं अचल सम्पत्ति पर काबिज है।

साबिक खसरा नम्बर 73 रकबा 4 बीघा 4 बिसवा बंजड दोयम सिवायचक ग्राम भाबरू के हाल सैटलमेंट में नये खसरा नम्बर 1119/1.06, 1126/0.33 बनाये गये है। ग्राम भाबरू से नया राजस्व ग्राम ढाणी गैसकान बना है, जिसमें खसरा नम्बर 1119 को ढाणी गैसकान में स्थित होना दर्ज किया गया है। साबिक खसरा नम्बर 74, 75, 76, 79, 93 को वादी एवं उसके पिता सीत्ता उर्फ सीताराम ने उसके पूर्व खातेदारों को पूर्ण प्रतिफल राशि अदा कर जुबानी खरीद कर कब्जा प्राप्त किया है, वर्तमान मे भी वादी एवं तरतीबी प्रतिवादीगण उक्त आराजी से बने हाल खसरा नम्बरान एवं खसरा नम्बर 1126/0.33 हैक्टेयर मे से 0.16 हैक्टेयर भूमि पर कब्जा है।

वर्तमान सैटलमेंट में साबिक खसरा नम्बर 74, 75, 76, 79, 93 के रकबा में बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश व डिक्री के रकबा 0.16 हैक्टेयर कम कर उक्त 0.16 हैक्टेयर को पूर्व राजस्व रिकार्ड एवं मौकास्थिति के विपरीत खसरा नम्बर 1126 के रकबे में मिला कर गलत रूप से गैर मुमकीन पहाड के रूप में दर्ज कर दिया, जबकि उक्त जगह कोई पहाड नहीं है, अतः काबिल दुरूस्ती है। हाल खसरा नम्बर 1126/0.33 हैक्टेयर मे से 0.16 हैक्टेयर भूमि वादी एवं उसके पिता सीत्ता उर्फ सीताराम की खरीदशुदा एवं कब्जे काश्त की भूमि है, जिसमें वादी एवं तरतीबी प्रतिवादीगण ने रिहायश करने एवं पशु आदि बांधने तथा ऊपज रखने के लिए खाम घर छप्परपोश बना रखे है। वादी एवं तरतीबी प्रतिवादीगण को सैटलमेंट द्वारा गलत रूप में की गई कार्यवाही को दुरूस्त करवाकर खसरा नम्बर 1126/0.33 हैक्टेयर भूमि मे से 0.16 हैक्टेयर भूमि की खातेदारी अपने नाम दर्ज करवाने का कानूनी हक अधिकार प्राप्त है, क्योंकि भू–प्रबन्ध विभाग को किसी सक्षम न्यायालय के आदेश व डिक्री के बिना पूर्व राजस्व रिकार्ड मे परिवर्तन/परिवर्धन करने का कोई कानूनी हक अधिकार नहीं है। अब प्रतिवादीगण, वादी एवं तरतीबी प्रतिवादीगण को उनके हक अधिकार एवं कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर 1126/0.33 हैक्टेयर मे से 0.16 हैक्टेयर भूमि से जबरन बेदखल कर सरकारी गोदाम का निर्माण कराने पर आमादा है। यदि प्रतिवादीगण ऐसा करने मे सफल

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

हो गये तो वादी एवं तरतीबी प्रतिवादीगण को नापूर्ति क्षति होगी एवं उनके हक अधिकारों का हनन होगा। अतः निवेदन है कि ग्राम भाबरू के खसरा नम्बर 1126/0.33 हैक्टेयर मे से 0.16 हैक्टेयर का वादी एवं तरतीबी प्रतिवादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड एवं नक्शा ट्रेस में दुरूस्ती की जाकर अमल दरामद कराया जावे साथ प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वादी एवं तरतीबी प्रतिवादीगण को खसरा नम्बर 1126/0.33 हैक्टेयर मे से 0.16 हैक्टेयर से जबरन बेदखल नहीं करे, कब्जा काश्त में दखल नहीं करें।

2. वादपत्र बाद जांच दर्ज पंजिका कर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। पैराकार सरकार उपस्थित।
3. वादी ने अपने वादपत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल खतौनी बन्दोबस्त भू–प्रबन्ध विभाग संवत् 2008–2027, नकल जमाबन्दी (खेवट खतौनी) संवत् 2030, नकल जमाबन्दी (खेवट खतौनी) संवत् 2032, नकल मिलान क्षेत्रफल, नकल जमाबन्दी संवत् 2042, नकल जमाबन्दी संवत् 2072–2075, नकल जमाबन्दी खाता संख्या 212 संवत् 2073–2076, नकल जमाबन्दी खाता संख्या 512 संवत् 2072–2075, आंशिक नकल नक्शा लठ्ठा ग्राम भाबरू, नकल नक्शा हाल सर्वे शीट ग्राम भाबरू आदि पेश किये।
4. पत्रावली राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार–2018 कैम्प कोर्ट भाबरू मे पेश हुई। वादी एवं पैरोकार सरकार उपस्थित रहे।
5. पैरोकार सरकार का जवाब रहा कि ग्राम भाबरू का खसरा नम्बर 1126/0.33 हैक्टेयर वर्तमान में सिवायचक गैरमुमकीन पहाड दर्ज रिकार्ड है। यह भी कि वादी द्वारा पत्रावली में साबिक नक्शा भी पेश नहीं किया गया है। गैरमुमकीन पहाड सिवायचक भूमि की खातेदारी दिये जाने पर राजहित प्रभावित होता है। अतः वाद वादी सारहीन होने से खारिज किया जावे।
6. उपस्थित वादी एवं पैरोकार सरकार को मजमा–ए–आम सुना गया। पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों, विधि के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन किया गया तथा मनन किया गया। वादी ने ग्राम भाबरू के खसरा नम्बर 1126/0.33 हैक्टेयर मे से 0.16 हैक्टेयर की खातेदारी चाही है, जो वर्तमान में सिवायचक गैरमुमकीन पहाड दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी एक के पास अन्य खातेदारी भूमि है, जो भूमिहीन की श्रेणी में नहीं आता है, न ही कब्जे काश्त के आधार पर खातेदारी प्राप्त करने का पात्र है। आराजी मुतनाजा में वादी का किसी तरह का हक, हित, स्वामित्व नहीं होने से आराजी मुतनाजा की किस्म परिवर्तन कराने या वादपत्र मे चाहा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अनुतोष प्राप्त करने का वादी को अधिकार नहीं है। यह भी कि विवादित भूमि सिवायचक राज्य सरकार के नाम दर्ज होने से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम तहत खातेदारी अधिकार दिए जाने से प्रतिबंधित भूमि है। सिवायचक भूमि पर नाजायज कब्जे के प्रयास को विफल करना एवं उसके प्रति कार्यवाही करना प्रतिवादीगण का कर्तव्य है। वादी ने सिवायचक को बदनियती पूर्वक हडपने की नियत से स्वंय ही इसको राजस्व भूमि मानते हुए न्यायालय मे वाद प्रस्तुत किया है, जिसे खारिज किया जाना न्यायसंगत पाता हूँ।

आदेश

वादी का वाद खारिज किया जाता है। तहसीलदार विराटनगर को आदेश दिये जाते हैं कि आराजी को अतिक्रमण मुक्त कराया जाकर आदेश की पालना रिपोर्ट न्यायालय में एक माह मे पेश करें। पर्चा डिक्री तहरीर होवे। **निर्णय दिनांक 16.05.2018 को मजमा–ए–आम कैम्प कोर्ट भाबरू में सुनाया गया।**

(मुकेश कुमार मूंड)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

डिक्री मुकदमा इबतदाई (ओ. 20 रूल 6 व 7 जा. दीवानी)

अज अदालत :— उपखण्ड अधिकारी मुकाम राजस्व लोक अदालत

न्याय आपके द्वार–2018 कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत भाबरू

बइजलास :— मुकेश कुमार मूंड आर.ए.एस.

1. सुरजा पुत्र सीत्ता उर्फ सीताराम जाती यादव निवासी ढाणी गैसकान तहसील विराटनगर **—— वादी**

बनाम

2. राजस्थान सरकार जरिए जिला कलक्टर, जयपुर जिला जयपुर कलक्ट्रेट परिसर बनीपार्क, जयपुर शहर जिला जयपुर।
3. तहसीलदार, तहसील विराटनगर, जिला जयपुर

—— प्रतिवादीगण

4. रामचन्द्र
5. देबू
6. मूला
7. बिरदू
8. हनुमान
9. धुडी देवी

पुत्रान सीत्ता उर्फ सीताराम, जाती अहीर निवासी ढाणी गैसकान, तहसील विराटनगर जिला जयपुर।

—— तरतीबी प्रतिवादीगण

मुकद्मा नम्बर/नजरसानी संख्या 100/2017 **दावा बाबत घोषणा खातेदारी दुरूस्ती इन्द्राज एवं स्थायी निषेधाज्ञा** यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतैई रूबरू **श्री मदनलाल जाट एडवोकेट** व हाजरी ..... मिन जानिब मुद्दई रूबरू **पैरोकार सरकार** कार्यवाही मिन जानिब मुदामलह पेश होकर निवेदन किया कि ग्राम भाबरू के खसरा नम्बर 1126/0.33 हैक्टेयर मे से 0.16 हैक्टेयर का वादी एवं तरतीबी प्रतिवादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड एवं नक्शा ट्रेस में दुरूस्ती की जाकर अमल दरामद कराया जावे साथ प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वादी एवं तरतीबी प्रतिवादीगण को खसरा नम्बर 1126/0.33 हैक्टेयर मे से 0.16 हैक्टेयर से जबरन बेदखल नहीं करे, कब्जा काश्त में दखल नहीं करें।

कैम्प कोर्ट भाबरू में सुना गया। वादी का वाद घोषणा खातेदारी दुरूस्ती इन्द्राज एवं स्थायी निषेधाज्ञा का है। प्रकरण में वादी ने सिवायचक गैरमुमकीन पहाड की खातेदारी चाही है, जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत खातेदारी अधिकार दिए जाने से प्रतिबंधित भूमि है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अतः हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद खारिज किया जाता है। तहसीलदार विराटनगर को आदेश दिये जाते हैं कि आराजी को अतिक्रमण मुक्त कराया जाकर आदेश की पालना रिपोर्ट न्यायालय में एक माह मे पेश करें। पर्चा डिक्री तहरीर होवे।

निर्णय दिनांक 16.05.2018 को मजमा–ए–आम कैम्प कोर्ट भाबरू में सुनाया गया।

(मुकेश कुमार मूंड)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर

मुबलिक .....शून्य..... बाबत .....शून्य.....खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरत .....शून्य..... की सदी सलाना आज की तारीख बसूलयाबी तक .....शून्य..... का अदा करें। सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज **तारीख 16.05.2018** को जारी की गई।

मुद्दई	रूपया	मुद्दायलह	रूपया
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प बजह सबूत महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बबत इजराय हुक्मनामा		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बबत इजराय हुक्मनामा मुतजरिक	
मीजान	शून्य	मीजान	शून्य

नोट :– इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिखाया।

(मुकेश कुमार मूंड)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर